न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारीः— श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :—04 / 13 दायरा दिनांकः— 30.07.2013

1. बलजीतसिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 19 एफ ज्वालेवाला
2. अमृत पाल सिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 19 एफ ज्वालेवाला
3. बलकरण सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 19 एफ ज्वालेवाला
4. हरदेवसिंह पुत्र हरनाम सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 19 एफ ज्वालेवाला

(निगरानीकर्तागण)

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत फूसेवाला 2 एम पंचायत समिति श्री करणपुर
2. त्रिलोक सिंह पुत्र किशनसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 19 एफ ज्वालेवाला

(गैर निगरानीकर्तागण)

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 26.01.2003 ग्राम पंचायत फूसेवाला दिनांक 26.01.2003

उपस्थितः— 1.श्री गुरविन्द्रसिंह, श्री फलभूर सिंह एडवोकेट जरिये निगरानीकर्तागण
2. श्री दलबारसिंह बराड़ एडवोकेट जरिये गैर निगरानीकर्तागण

निर्णय दिनांक 20/11/13

सार में तथ्य इस प्रकार से हैं कि निगरानीकर्तागण द्वारा निगरानी इस आश्य की पेश की गई कि 19 एफ ज्वालेवाला में वर्ष 1927 से पूर्व का जोहड़ बना हुआ है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण की नीयत से दिनांक 26.01.2003 को 100 गुणा 50 फुट का पट्टा जारी कर दिया गया। इस संबंध में शिकायत करने पर तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण अप्रार्थी द्वारा पटटा की फोटो प्रति पेश की गई। अप्रार्थी संख्या 01 सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त भूखण्ड का कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। उक्त पटटा विक्रय विलेख साजिशी तैयार किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया न ही सार्वजनिक नीलामी की प्रकिया अपनाई गई है। उक्त विक्रय विलेख अवैध, कानून विरूद्ध व पंचायत के प्रावधानों के विपरीत है इसलिये निरस्त योग्य है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। गैर निगरानीकर्तागण को तलब किया गया। संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत फूसेवाला द्वारा अवगत करवाया गया कि आहाता विक्रय संबंधी विक्रय अभिलेख पटट्ा रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है।

बहस उभय पक्षीय सुनी गई। निगरानीकर्तागण के अभिभाषक का अपनी बहस में कथन है कि 19 एफ ज्वालेवाला में वर्ष 1927 से पूर्व का जोहड़ बना हुआ है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण की नीयत से दिनांक 26.01.2003 को 100 गुणा 50 फुट का पट्टा जारी कर दिया गया। इस संबंध में शिकायत करने पर तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण अप्रार्थी द्वारा पटटा की फोटो प्रति पेश की गई। अप्रार्थी संख्या 01 सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त भूखण्ड का कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। उक्त पटटा विक्रय विलेख साजिशी तैयार किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया न ही सार्वजनिक नीलामी की प्रकिया अपनाई गई है। उक्त विक्रय विलेख अवैध, कानून विरूद्ध व पंचायत के प्रावधानों के विपरीत है इसलिये निरस्त योग्य है।

इसके विरोध में सुयोग्य अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि निगरानी किसी आदेश के विरूद्ध होती है। प्रस्तुत मामले में अपील योग्य आदेश की प्रति पेश नहीं की गई है। यदि जारी पट्टा वैध नहीं है तो दाण्डिक कार्यवाही की जानी चाहिये। वकील प्रार्थीगण के तर्क का उत्तर देते हुए वकील अप्रार्थी का कथन है कि भूमि जोहड की नहीं है इस संबंध में तहसीलदार द्वारा जांच की गई है। इसके अतिरिक्त निगरानी समयावधि में पेश नहीं की गई है। उक्त आधारों पर निगरानी खारिज योग्य है।

रिबटल में वकील प्रार्थीगण का कथन है कि ज्ञान के आधार पर निगरानी अन्दर मियाद है। उन्होने धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है व शपथ पत्र पेश किया है। पट्टा बिना प्रकिया अपनाये जारी किया गया है जो खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। जहां तक मियाद का बिन्दु है। वकील प्रार्थीगण द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया है कि उन्हे विक्रय विलेख पटटा दिनाक 26.01.03 का सर्वप्रथम ज्ञान दिनाक 23.07.13 को हुआ जब नायब तहसीलदार केसरीसिंहपुर मौका पर जांच हेतु आए तथाकथित पट्टा की प्रति नायब तहसीलदार से प्राप्त की गई। चूँकि उक्त तर्को का वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कोई खण्डन नहीं किया है महज कहा कि निगरानी मियाद बाहर है। दफा 5 के तहत ज्ञान के आधार पर निगरानी ग्राहय की जाती है।

जहां तक गुणावगुण पर पट्टा की वैधता का प्रश्न है इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर पाया कि एक शिकायत के आधार पर नायब तहसीलदार केसरीसिंहपुर द्वारा दिनांक 24.07.13 को मौका निरीक्षण किया गया है। अप्रार्थी त्रिलोक सिंह पर आरोप लगाया गया है कि इसने जोहड की भूमि मु0नं0 39/01 में .139 हैक्टर पर कब्जा कर रखा है जबकि नक्शे में 39/01 में जोहड का हवाला दर्ज नहीं है।

हम सुयोग्य अधिवक्ता अप्रार्थी के इस तर्क से सहमत हैं कि निगरानीकृत आदेश की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई है यदि निगरानीकृत आदेश नहीं है तो निर्णय किस आधार पर किया जाये। वकील अप्रार्थी का यह कथन भी तर्क संगत है कि यदि पट्टा फर्जी है तो प्रभावित द्वारा दाण्डिक कार्यवाही की जानी चाहिये तथा यदि अवैध अतिक्रमण है तो सक्षम अधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिये।

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व प्रकरण सरपंच ग्राम पंचायत फूसेवाला को रिमांड की जाती है कि दोनो पक्षों को नोटिस जारी कर सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर देकर पट्टे की वैधता के संबंध में रिकार्ड व मौका की स्थिति के अनुसार पूर्ण जांच करें यदि पट्टा अवैध है और अप्रार्थी द्वारा भूखण्ड पर अतिक्रमण किया गया है तो विधिवत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें।

निर्णय की प्रति सरपंच, ग्राम पंचायत फूसेवाला को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील हस्ब जाब्ता दाखिल दफतर हो।

आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता)
श्रीगंगानगर